न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :25/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा।
2. अंजना कुमारी पुत्री अमरसिंह पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा हाल आबाद प्रेमनगर हिसार।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल **: वादीगण**
वकील श्री योगेश शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक : 20.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 4/3 के मु.न. 70 के किला नं. 25, मु.न. 71 के किला नं. 21 ता 23, मु.न. 79 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 4.7320 हैक्टर नहरी 4.7190 हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.0130 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल ज़माबंदी सम्वत 2074–77 संलग्न वाद है जिससे साफ रोशन है। यही बिनाय दावा है।

हस्तगत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्शनरी सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादीया सं. 2 जो प्रतिवादी अमरसिंह के पुत्र–पुत्री है, का जन्म से प्रतिवादी अमरसिंह के साथ हक हिस्सा है। प्रतिवादी अमरसिंह को ऊपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता रामजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी अमरसिंह के साथ वादगत भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है और वादगत कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादिया अंजना कुमारी का विवाह हो चुका है जिसके विवाह में वादी व प्रतिवादी अमरसिंह द्वारा काफी खर्चा किया गया था और प्रतिवादिया अंजना कुमारी अपनी ससुराल में आबाद है। प्रतिवादिया अंजना कुमारी ने अपना 1/3 हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वादी यह घोषणा करवा पाने का मजाज कानूनी है कि चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 4/3 के मु.न. 70 के किला नं. 25, मु.न. 71 के किला नं. 21 ता 23, मु.न. 79 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 4.7320 हैक्टर, नहरी 4.7190 हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.0130 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रविादी अमरसिंह के स्थान पर वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी अमरसिंह 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। बाद घोषणा इस अमर का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज फरमाया जावे।

वादी को ऋण आदि लेने कृषि भूमि को समतल व उपजाऊ बनाने व अन्य मनमाफिक उपयोग करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मुझ वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को अपना–अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होने न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। यही वाद कारण है।

वाद पत्र में वर्णित वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के कारण राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है व प्रतिवादी सं. 3 भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी के कृषि भूमि रहन होने के कारण उन्हें दावा मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 3 को वादी ने तर्क किया तथा प्रतिवादी सं. 4 स्टेट ने अपना जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 का राजीनामा पेश होने के बाद पत्रावली में साक्ष्यवादी में वादी पीडब्ल्यु 1 विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति ताट निवासी महराण तहसील भादरा के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एमआरएन सम्वत 2074–44 खाता संख्या 4/3, प्रदर्श 1, भू–एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2016 खाता संख्या 48 प्रदर्श 2, वारिस प्रमान पत्र ग्राम पंचायत महराना द्वारा जारी प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 4/3 के मु.न. 70 के किला नं. 25, मु.न. 71 के किला नं. 21 ता 23, मु.न. 79 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 4.7320 हैक्टर नहरी 4.7190 हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.0130 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह के स्थान पर वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी अमरसिंह 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 4/3 के मु.न. 70 के किला नं. 25, मु.न. 71 के किला नं. 21 ता 23, मु.न. 79 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 4.7320 हैक्टर नहरी 4.7190 हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.0130 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह के स्थान पर वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी अमरसिंह 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी अमरसिंह को 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S. (राजस्व)
उपखण्ड भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :25/2019

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा।
2. अंजना कुमारी पुत्री अमरसिंह पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी महराणा तहसील भादरा हाल आबाद प्रेमनगर हिसार।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 एमआरएन के खाता संख्या 4/3 के मु.न. 70 के किला नं. 25, मु.न. 71 के किला नं. 21 ता 23, मु.न. 79 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 4.7320 हैक्टर नहरी 4.7190 हैक्टर, गैरमुमकिन रास्ता 0.0130 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रतिवादी अमरसिंह के स्थान पर वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी अमरसिंह 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 2 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी विनोद कुमार 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी अमरसिंह को 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़